

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी(बाल विकास)-बलरामपुर।

पत्रांक /जि0कग0अधि0/आ0बा0स्था0/नियुक्ति/2025-26

दिनांक 12 नवम्बर, 2025

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति चयन प्रक्रिया हेतु पुनर्निर्धारित नवीनतम शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना शहर (नगर पालिका परिषद, बलरामपुर), बलरामपुर देहात, हरैया सतधरवा, तुलसीपुर, गैसडी, पचपेड़वा, श्रीदत्तागंज, उत्तरौला एवं रेहरा बाजार में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर चयन हेतु विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थिनियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। :-

क्र0	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण				
		अनु0 जनजाति	अनु0 जाति	अ0 पि0 वर्ग	अना0	योग
1	शहर	01	02	0	0	03
2	बलरामपुर देहात	05	02	0	0	07
3	हरैया सतधरवा	05	02	0	01	08
4	तुलसीपुर	0	01	01	01	03
5	गैसडी	01	01	0	01	03
6	पचपेड़वा	0	0	0	01	01
7	श्रीदत्तागंज	0	02	0	0	02
8	उत्तरौला	0	01	0	03	04
9	रेहरा बाजार	0	01	01	01	03
	योग	12	12	02	08	34

विज्ञापित पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए है। रिक्त पदों का ग्रामसभावार विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है। रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 03.12.2025 है।

शैक्षिक योग्यता:-न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष होगी (अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।)

आयु सीमा :-(1) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु कट ऑफ दिनांक 01.07.2025 को आवेदिका की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(2) आयु के सम्बन्ध में आवेदिका के शैक्षिक अभिलेख (हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र) में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

चयन हेतु पात्रता/अर्हता :-

(क) सीधी भर्ती हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी। :-

- (1) सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- (2) विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- (3) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

(ख) उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थिनी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता क्रम में ही :-

- (1) सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- (2) विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- (3) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

(ग) उसी ग्रामसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में अर्ह/पात्र अभ्यर्थिनी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्यायपंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

- (1) विधवा हेतु साम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजीका की प्रमाणित सफल तथा सत्यापित/परिष्कारिता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- (2) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उररी सामसमा एवं शहरी क्षेत्रों में उररी वार्ड की निवासिनी होना अनिवार्य होगा।
- (3) आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राजा-9 दिनांक 30.09.2011 (यथासंशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। यदि भविष्य में राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में रामाज कल्याण अनुभाग-2, उ०प० शासन के शासनादेश संख्या 22/2016/2123/26-2-2016 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 (यथासंशोधित) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- (4) निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
- (5) एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
- (6) एक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों/पत्तों पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य होंगे।

आरक्षण:-

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया:-

- (1) आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फॉर्मेट में केवल ऑनलाइन मान्य होगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जोकि स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख ऑनलाइन फार्म में किया गया हो। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।
- (2) यदि अभ्यर्थिनी द्वारा आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्रॉपॉक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।


C-2315

(इफतखार अहमद)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलरामपुर।

पृष्ठांक सं० /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन०आई०सी०) बलरामपुर।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद-बलरामपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि अनिवार्यतः एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तरीय दैनिक समाचार-पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथकि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि रिक्त पदों का विस्तृत विवरण तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय में चस्पा कराते हुए प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र-दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि अगले अंक में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल 02 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. कार्यालय प्रति।


जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलरामपुर।